तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

चन्दा आदि बनाम ठाकरराम
अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए
मुकदमा नम्बर – 251/2023

19/7/24

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एव राज पैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही आदेश हो चुके है। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुवे निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के पति / पिता भागुराम पुत्र चूनाराम जाति कुम्हार निवासी सहजरासर के नाम से रोही ग्राम सहजरासर तहसील लूनकरनसर के खसरा संख्या 728 मे 7.3000 हैक्टेयर बारानी खातेदारी रूकबा था जिनके स्वर्गवास दिनाक 15.07.2023 के बाद प्रार्थीगण जायज एव मौजूद वारिस है इनके अलावा अन्य कोई वारिस है नही है उक्त रकबा पर प्रार्थीगण के पिता / पति का उसके बाद प्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा दखल है। प्रार्थीगण उक्त रकबा पर निरन्तर कृषि काश्त करते चले आ रहे है। यह कि प्रार्थीगण अपने खेत मे प्रवेश करने हेतु आम रास्ता गाम सहजरासर से किशनासर जाने वाले रास्ता से अप्रार्थीगण 1 ता 7 के खेत से आना–जाना है। जिससे प्रार्थीगण अपने खेत को जोतने तथा फसलीय लाभो को ले जाने, अपने खेत मे आने– जाने हेतु उक्त रास्ता का उपयोग किया जा रहा है प्रार्थीगण के पिता से 40 वर्षो से उक्त रास्ता से आता–जाता है, तथा अन्य काश्तकारो द्वारा भी उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थीगण के रकबा के उत्तर–पूर्व दिशा की तरफ आम रास्ता गाम सहजरासर से किशनासर गुजर रहा है। उक्त रास्ता के चिपता अप्रार्थीगण 1 ता 7 का रकबा है जो ग्राम रोही सहजरासर के खसरा न. 727, 731, 730 मे अप्रार्थीगण के नाम रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थीगण के रकबा के उत्तर–पूर्व दिशा की तरफ 16.5 फुट चौडाई में एवं 60 फुट लम्बाई के अनुपात मे करीब रास्ता का अप्रार्थीगण के रकबा मे से उपयोग किया जा रहा है उक्त रकबा के निकटतम अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के रकबा के पास नहीं है। प्रार्थीगण अपने खेत मे दिनाक 05.08.2023 को जा रहे थे तब अप्रार्थीगण 1 ता 7 ने अपने खेत में से रास्ता हेतु स्पष्ट मना दिया और कहा की अबकी बार यहां से मत गुजरना अन्यथा अच्छा नही होगा, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता बन्द कर दिये जाने से प्रार्थीगण को आने–जाने में बडी समस्या हो रही है। प्रार्थीगण का रोही ग्राम सहजरासर के खसरा न. 727, 731, 730 मे से आना–जाना है, जो आम रास्ता के चिपता है तथा अपने रकबा के पास उत्तर–पूर्व की तरफ (दिशा में) 60 फुट लम्बाई में एव 16.5 फुट चौडाई में अप्रार्थीगण के खेत में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है ताकी अपने खेत में [illegible] में [illegible]। उक्त रास्ता बन्द हो जाने के कारण प्रार्थीगण [illegible] फसलीय [illegible] नही किया जा रहा है जिसमे उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है प्रार्थीगण अपने खेत में निराई, गुडाई तथा पशुओं का चारा आदि नही ले जा सकते है अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता बन्द होने से रोका जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण संख्या [illegible] को [illegible] हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाय जाना अति आवश्यक है। प्रार्थना पत्र [illegible] के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार एवं पूर्ण कोर्ट फीस मे पेश है अन्य तथ्य पर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही ग्राम सहजरासर के खसरा न 727, 731, 730 मे अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के खातेदारी रकबा में प्रार्थीगण के रकबा के पास उत्तर पूर्व दिशा की तरफ 16.5 फुट चौडाई में एवं 60 फुट लम्बाई में कटानी रास्ता स्वीकृत करने हेतु वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया। राज पैरोकार द्वारा प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट मे खसरा न 728 में पहुच हेतु रास्ता बाबत निकटतम रास्ता खसरा न 727 में बताया गया है तथा नियमानुसार रास्ता स्वीकृत करने बाबत सहमति दी ।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम सहजरासर, आंशिक नजरी नक्शा एवं तहसीलदार लूनकरनसर एवं पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वांछित उक्त रास्ता प्रार्थीगण वर्तमान में खसरा न. 728 में पहुंच हेतु कोई स्थायी मार्ग नहीं है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कटानी मार्ग खसरा न. 727, 731, 730 में से मार्ग चाहता है, जबकि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार लूनकरनसर पहुच हेतु गेरमुमकिन मार्ग बाबत सबसे न्यून भूमि खसरा न. 727 में आ रही है। अतः खसरा न. 727 से मार्ग दिया जाना उचित है। खसरा न. 727 में पूर्वी सींव से 5 मीटर की चोडाई में दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि खसरा न 727 से प्रार्थी भूमि खसरा न 728 में पहुंच हेतु खसरा न. 727 में पूर्वी सींव से 5 मीटर की चोडाई का रास्ता बाबत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भूमि गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगना भुगतान सम्बन्धित पक्षकार को होने पर रिकॉर्ड में अकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो ।

यह आदेश आज दिनांक 19.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Signature)

(दिव्या कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Double Tap to Edit